न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10/2021 **दायर दिनांकः 07.07.2021**

उनवान

1. मोतीलाल आयु 64 वर्ष पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9001319980

प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
2. रामदयाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
3. भगवान पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
4. जगमोहन पुत्र भैरूलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
5. चाहन्याबाई पुत्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
6. अमरा पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
7. जगदीश पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
8. हजारीलाल पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
9. ग्यारसीबाई पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
10. द्वारकीबाई पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय

दिनाकः 28/04/2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पाडलिया तहसील अटरू की खाता संख्या 73 का ख0नं0 231 का रकबा 1.95 है० आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित हैं। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र

साथ में संलग्न हैं। प्रार्थी के खेत के लगवा अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 के स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल पाडलिया में खाता संख्या 92 का ख0नं0 226 का रकबा 0.82 है० तथा अप्रार्थी क्रम 6 लगायत 10 के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 134 का ख0नं0 230 का रकबा 3.90 है० स्थित हैं। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी के खेत ख0नं0 231 पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 के ख0नं0 226 एवं अप्रार्थी क्रम 6 लगायत 10 के ख0नं0 230 के मध्य की मेड पर होकर बना हुआ हैं। जिस पर होकर प्रार्थी पूर्वजो के समय से अपने बेल गाडी ट्रेक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि यन्त्र लाता ले जाता चला आ रहा हैं। यही एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने जाने का सबसे नजदीग एव सुगम रास्ता हैं। इसके अलावा प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने का कोई विकल्प नहीं हैं। रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे में ए से बी मार्क से प्रदर्शित किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने जबरन ताकत के बल पर उक्त रास्ते को पत्थर का कोट करके बन्द कर दिया हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से रास्ता अवरूद्ध करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि अब तुम्हे इस रास्ते से नही निकलने देंगे। यदि प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने हेतु सलग्न नजरी नक्शे मे ए से बी रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी पडत रह जावेगी। जिससे प्रार्थी का परिवार भूखो मर जायेगा। इसलिए प्रार्थी अपने खेत ख0नं0 231 पर आने जाने, ट्रेक्टर ट्रोल एवं अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिये अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 230 व ख0नं0 226 के मध्य की मैड पर होकर 4 मीटर की चौडाई में रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाकर नक्शा ट्रेस मे तरमीम करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी रास्ते के उपयोग मे ली जाने वाली भूमि का मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने को तैयार हैं। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल पाडलिया तहसील अटरू में स्थित होने माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यो पर आधारित हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसके स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल पाडलिया के ख0नं0 231 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 के ख0नं0 226 एव अप्रार्थी 6 लगायत 10 के ख0नं0 230 के मध्य की मेड पर होकर 4 मीटर चौडाई का रास्ता दिलया जावें। तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज कर नक्शा

ट्रेस में तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी क्रम 11 को प्रदान किया जावें। रास्ते मे उपयोग में ली जाने वाली भूमि की मुआवजा राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करने को तैयार हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 11 तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/535 दिनांक 05.03.2024 से मौका रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अन्य कोई रिकार्डेड वैकल्पिक रास्ता नही है। रास्ते की नितान्त आवश्यकता है तथा रास्ते की लम्बाई 64 मीटर व चोडाई 4 मीटर कुल 256 वर्गमीटर होगी।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत ख0नं0 231 पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 के ख0नं0 226 एवं अप्रार्थी क्रम 6 लगायत 10 के ख0नं0 230 के मध्य की मेड पर होकर बना हुआ हैं। जिस पर होकर प्रार्थी पूर्वजो के समय से अपने बेल गाडी ट्रेक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि यन्त्र लाता ले जाता चला आ रहा हैं। यही एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने जाने का सबसे नजदीग एव सुगम रास्ता हैं। इसके अलावा प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने का कोई विकल्प नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने जबरन ताकत के बल पर उक्त रास्ते को पत्थर का कोट करके बन्द कर दिया हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से रास्ता अवरूद्ध करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि अब तुम्हे इस रास्ते से नही निकलने देंगे। यदि प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने हेतु रास्ता नही दिया गया तो प्रार्थी की आराजी पडत रह जावेगी। जिससे प्रार्थी का परिवार भूखो मर जायेगा। इसलिए प्रार्थी अपने खेत ख0नं0 231 पर आने जाने, ट्रेक्टर ट्रोल एवं अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिये अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 230 व ख0नं0 226 के मध्य की मैड पर होकर 4 मीटर की चौडाई में रास्ता दिलाया जावें। प्रार्थी रास्ते के उपयोग मे ली जाने वाली भूमि का मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने को तैयार हैं।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

- वैकल्पिक रास्ता नही होना
- रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना
- सबसे लघुत्तम रास्ता होना

- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/535 दिनांक 05.03.2024 के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पाडलिया के ख0नं0 231 तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई भी रिकार्डेड रास्ता विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है। अतः वैकल्पिक रास्ते का अभाव साबित होता है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/535 दिनांक 05.03.2024 के अनुसार प्रार्थी के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ते की नितान्त आवश्यकता है अन्यथा रास्ते के अभाव में और अप्रर्थीगण द्वारा प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण की भूमि पडत रह जायेगी। अतः रास्ते की नितान्त आवश्यकता साबित है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/535 दिनांक 05.03.2024 व अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम पाडलिया के ख0नं0 231 तक पहुच हेतु रास्ते की लंबाई 64 मीटर व चौडाई 4 मीटर होगी, जो सबसे लघुत्तम रास्ता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम पाडलिया के ख0नं0 231 तक पहुंच हेतु 4 मीटर चौडा एवं 64 मीटर लम्बा यानी 256 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थी द्वारा रास्ते के रूप में दर्ज की जाने वाली भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 को हिस्से अनुसार अदा किए जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां